

Lokeh foodkuUn jkt dh; egkfo [ky;] ?kekjoh] ftyk fcyklij] fgekpy in'k d

l pf; dk y:[kkvki dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 4@10 I 3@11

Hkkx&, d

1 xr vdf{k.k ifronu&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट पैरों पर की गई अनुपालना की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई:—

%d% vdf{k.k ifronu vof/k 7@99 I 3@2005

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	समाप्त (निष्क्रिय खातों से सम्बन्धित राशि भवन निधि में जमा कर दी है)
3	पैरा-6	समाप्त
4	पैरा-7	समाप्त

%[k% vdf{k.k ifronu vof/k 4@05 I 3@07

1	पैरा-5	अनिर्णीत
---	--------	----------

%x% vdf{k.k ifronu vof/k 4@07 I 3@10

1	पैरा-2	समाप्त
2	पैरा-3	समाप्त
3	पैरा-4	समाप्त
4	पैरा-5	समाप्त
5	पैरा-6	अनिर्णीत
6	पैरा-7	समाप्त (निष्क्रिय खातों से सम्बन्धित राशि भवन निधि में जमा कर दी है)

2 or'eku vd{k.k.&

राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के संचयिका लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 112.9.2012 को घुमारवीं में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं।

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना प्रस्तुत न करने एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vd{k.k 'kYd& अंकेक्षण पुल्क की राशि छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण पुल्क में सम्मिलित की गई है।

4 foYkh; fLFkfr&

महाविद्यालय के संचायिका लेखों की वर्ष 2010-11 व 2011-12 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई:-

foYkh; o"ki	vkjFEHkd 'k"ki	vk;	C;k t	t kM	0;;	vfure 'k"ki
2010-11	358143	—	25630	383773	383773	—
2011-12	—	—	2552	2552	—	2552

वर्ष 2010-11 के दौरान सावधि जमा पर ₹25630/- ब्याज के प्राप्त किए गए तथा वर्ष 2011-12 में संचायिका से सम्बन्धित बचत खाते पर ब्याज के ₹2552/- प्राप्त दर्शाये गये थे जो वर्ष 2010-11 व 2011-12 से सम्बन्धित थे। अन्य कोई भी प्राप्ति संचायिका खाते में नहीं हुई।

6 l'pf;dk ;k tuk dk iB'kkyk e l'pkfyr u djuk&

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/99 से 3/2005 के पैरा 4 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/2007 के पैरा 5 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2010 के पैरा 6 द्वारा महाविद्यालय में संचयिका योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा इस योजना के अन्तर्गत छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव दिया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बताया गया कि महाविद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 2000 विद्यार्थी हैं। 2000 विद्यार्थियों के खातों का बिना स्टाफ के रख रखाव करना सम्भव नहीं है। संचयिका के रख रखाव हेतु स्टॉफ उपलब्ध करवाने हेतु कई बार उच्चाधिकारियों के साथ मामला उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टाफ की कमी के कारण

यह योजना बन्द कर दी गई है। महाविद्यालय में संचयिका योजना बन्द होने से निदेशक, लधु बचत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है। महाविद्यालय द्वारा संचयिका योजना अपने स्तर पर ही बन्द करने से सम्बन्धित प्रकरण निदेशक, लधु बचत, हिमाचल प्रदेश, षिमला-2 के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही किये जाने हेतु लाया जाता है।

14 fu"d"kk&

संचयिका योजना को अपने स्तर पर ही बिना स्वीकृति प्राप्त किये बन्द करना अनियमत व अनुचित है। निदेशक, लधु बचत, द्वारा जारी दिषा निर्देशों का पालन करते हुए महाविद्यालय में संचयिका योजना प्रारम्भ की जाए।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0) संचयिका xi(xii)71/05-खण्ड-1 दिनांक षिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- ii:thdr** 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेंक्षण प्रतिवेदन मे समाविष्ट पैरों के सटिप्पण उत्तर षीध्र तैयार कर इस विभाग को भेजे।
- 2 निदेशक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला-171001.
- 3 निदेशक लधु बचत विभाग हि0प्र0 षिमला-2 को उनके पत्र संख्या फिन(2)सी(ए) एसएस-6/84 दिनांक 9.9.86 व पत्र संख्या 2 (ए)एसएस-6/84 दिनांक 28.11.86 के सन्दर्भ में।
- 4 जिलाधीष, बिलासपुर जिला बिलासपुर।
- 5 श्री चम्बेल सिंह, अ0अ0 द्वारा.....

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.